बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त याचिका	
श्री समीर कुमार महासेठ, मा०स०वि०स० द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित याचिका संख्या–2390/25 के संबंध में। क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
याचिका	**उत्तर**
हम मधुबनी जिला के मधुबनी शहर के निवासी प्रार्थना करते है कि आपदा मित्रों एवं सखियों को सरकारी आपदा कर्मचारी घोषित किया जाय। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिहार में 9600 आपदा मित्र/सखियों को सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया ताकि बिहार में हो रहे आपदा से निबटा जा सके। आपदा मित्र/सखी अपना कर्त्तव्य किस प्रकार निभाते है इसी से समझा जा सकता है कि 2023 में महापर्व छठ में सभी आपदा मित्रों और सखियों को घाटों पर प्रतिनियुक्त किया गया था तो उस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी जबकि 2024 के महापर्व छठ के दौरान आपदा मित्रों/सखियों की प्रतिनियुक्ति नहीं किये जाने से 72 लोगों की जाने गयी। हमलोग बार–बार विभाग से अनुरोध कर रहे है कि हमें सरकारी आपदा कर्मचारी घोषित किया जाय। परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः प्रार्थना है कि इस मामले की जांच याचिका समिति से कराते हुए आपदा मित्रों एवं सखियों को सरकारी आपदा कर्मचारी घोषित कराने की कृपा की जाय। **<u>याचिकाकर्त्ता का नाम एवं पता</u>** 1. श्री सुमन कुमार, सुभाष चौक, मधुबनी, 2. श्री राजकुमार साह, थाना चौक	वस्तुस्थिति यह है कि आपदा मित्र एक केन्द्र प्रयोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा उनके प्रशिक्षण हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), नई दिल्ली की इस परियोजना के अन्तर्गत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA), पटना के द्वारा आपदा मित्र तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया था, जिसका उद्देश्य सामुदायिक वोलंटियर्स तैयार कर आपदाओं के दौरान समुदायों को सहायता पहुँचाना था। आपदा मित्र को मानदेय देना अथवा स्थायी करना NDMA के द्वारा प्रावधानित नहीं है। उल्लेखनीय है कि कतिपय आपदा मित्रों के द्वारा आपदा मित्रों/सखियों को मानदेय देने एवं स्थायी करने का अनुरोध गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार से भी किया गया है, जिसके आलोक में वांछित कार्रवाई उनके स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–05/वि0स0–याचिका–08–03/2025/ 3666 /आ0प्र0 **पटना–23, दिनांक**– 06-10-2025

प्रतिलिपि–अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक–वि०स०(या०)–2634/25–807/वि0स0 दिनांक–18.08.2025 को कुल 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)
सरकार के संयुक्त सचिव

c:\mithilesh 2025\vikash sir\bvs (विधायी) 2025\मॉनसून सत्र 2025 वि०वि०स० याचिका\ans\ans (2390-25)-11-09-2025.docx

ज्ञापांक–05 / वि0स0–याचिका–08–03 / 2025 / 3666 / आ0प्र0 **पटना–23, दिनांक**– 06-10-2025

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव